प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.) प्राथमिक डिक्री

अनवान

वादीगण बनाम	प्रतिवादीगण
1. उगराराम 2 जोगाराम पिसरान मगनाराम जाति जाट निवासी उदे का तला, (मुरटाला गाला) महाबार पीथल तहसील व जिला बाडमेर।	1 भाखरसिंह 2 गुमानसिंह 3 मोहनसिंह 4 लीलसिंह (धुखलसिंह) पिसरान आम्बसिंह 5 ढेलीकंवर पत्नी आम्बसिह जाति रावणा राजपूत निवासी मुरटाला गाला (महाबार पीथल) 6 डुंगराराम 7 प्रहलादराम पिसरान कानाराम जाति जाट निवासी उदे का तला, मुरटाला गाला, महाबार पीथल तहसील व जिला बाडमेर 8 तहसीलदार बाडमेर 9 तनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88, 53 व 188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 52/2020
निर्णय दिनांक :– 27/01/2023

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27/01/2023 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद तथा प्रतिवादी संख्या 06 व 07 तथा प्रतिवादी संख्या 09 का काउन्टर क्लेम प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2111/1068 रकबा 87.14 बीघा भूमि में वादीगण अपने 10.00 बीघा भूमि, तथा प्रतिवादी संख्या 06 व 07 की रकबा 09.00 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 09 की रकबा 07.11 बीघा भूमि खातेदारी में घाषित की जाकर उक्तानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम 18 से 21 की पालना करते हुए स्वंय मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। कमीश्नर शुल्क रू. 1500/– निर्धारित की जाती है जो वादीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 27/01/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(समदरसिंह भाटी)
पीठासन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	